मूर्ति मंदिर श्यामाजी बनाम महावीर प्रसाद मु.न.

दिनांक	आज्ञा पत्र	
२८.५.२५	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 98/2022

1 मूर्ति मंदिर न्यामा जी कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. जरिये महंत महावीर दास शिष्य भगवानदास निवासी मूर्ति मंदिर न्यामा जी न्यामा बाजार कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र माणकचन्द (फौत)
1/1 राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद
1/2 श्यामसुन्दर पुत्र महावीर प्रसाद
1/3 सुनिता देवी पुत्री महावीर प्रसाद
1/4 सुमन पुत्री महावीर प्रसाद फौत
1/4/1 कैलाश पति सुमन
1/4/2 हेमन्त पुत्र स्व. सुमन नाबालिग
1/4/3 प्रेमकुमार पुत्र स्व. सुमन नाबालिग
1/4/4 प्रेरणा पुत्री स्व. सुमन नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता कैलास
1/5 पुष्पा देवी पत्नी महावीर प्रसाद
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
2 मुरली पुत्र माणकचन्द
3 शोभा देवी पत्नी स्व. मुखराम (फौत एवं विचारण न्यायालय के समक्ष नाम हजफ)
4 नन्दकिशोर पुत्र स्व. मुखराम
5 तेजपाल पुत्र स्व. मुखराम
6 गोपाल पुत्र स्व मुखाराम
7 दिनेश पुत्र स्व. मुखराम
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.07.2022
मु.नं. 86/2009 (08/2022) शीर्षक महावीर प्रसाद आदि
बनाम राज. सरकार आदि जिसमें अपीलान्ट/प्रतिवादी का
काउंटर वाद निरस्त किया गया

अपील संख्या 82/2022

1 मूर्ति मंदिर न्यामा जी कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. जरिये महंत महावीर दास शिष्य भगवानदास निवासी मूर्ति मंदिर न्यामा जी न्यामा बाजार कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र माणकचन्द (फौत)
1/1 राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद
1/2 श्यामसुन्दर पुत्र महावीर प्रसाद
1/3 सुनिता देवी पुत्री महावीर प्रसाद
1/4 सुमन पुत्री महावीर प्रसाद फौत
1/4/1 कैलाश पति सुमन
1/4/2 हेमन्त पुत्र स्व. सुमन नाबालिग
1/4/3 प्रेमकुमार पुत्र स्व. सुमन नाबालिग
1/4/4 प्रेरणा पुत्री स्व. सुमन नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता कैलास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/5 पुष्पा देवी पत्नी महावीर प्रसाद
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
2 मुरली पुत्र माणकचन्द
3 शोभा देवी पत्नी स्व. मुखराम (फौत एवं विचारण न्यायालय के समक्ष नाम हजफ)
4 नन्दकिशोर पुत्र स्व. मुखराम
5 तेजपाल पुत्र स्व. मुखराम
6 गोपाल पुत्र स्व मुखाराम
7 दिनेश पुत्र स्व. मुखराम
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.07.2022
मु.नं. 86/2009 (08/2022) शीर्षक महावीर प्रसाद
बनाम राज. सरकार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री प्रभाती लाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री दाउद तगाला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री राघवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/5/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 86/2009 (08/2022) में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने दावा बाबत इन्द्राजात दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 966/1361 रकबा 18 बीघा 2 बिश्वा, 373 रकबा 1 बीघा 4 बिश्वा, 965 रकबा 2 बीघा 1 बिश्वा, 966 रकबा 5 बीघा 12 बिश्वा वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपील संख्या 82/2022 एवं 98/2022 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःगृहण अधिनियम 1952 की धारा 9 का अवलम्ब किया है जो गलत रूप से लिया गया है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 9 की परिधी में अगर विवादित भूमि आती तो ऐसी भूमियां राज्य सरकार में निहित हो जाती इस धारा का अवलम्ब रेस्पोडेन्टस वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र के अभिवचनों के भी विपरित है तथा वाद–पत्र में किये गये यह कथन 'विवादित आराजी के संबंध में तत्कालीन सेटलमेन्ट ऑफिसर के द्वारा मिसल संख्या 719 आदेश दिनांक 10.09.1941 के अन्तर्गत 20 बीघा भूमि मूर्ति मंदिर के नाम अंकित करते हुए एवं शेष 40 बीघा भूमि को खालसा दर्ज करते हुए उस पर भगवानदास पुत्र हरिदास के नाम दर्ज की थी जिसमें वादी के दादा बक्शुराम व उसकी मृत्यु के बाद माणकचन्द के नाम काश्त बता रखी थी इस स्वीकृत अभिवचन के अनुसरण में यह तो एक स्वीकृत स्थिति थी कि 20 बीघा भूमि मूर्ति मंदिर के नाम अंकित थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

और शेष भूमि खालसा थी खालसा भूमि राजकीय भूमि होती है इसलिये धारा 9 जागीर पुर्नभरण अधिनियम 1952 का अवलम्ब लेकर इस तनकी का निर्णय रेस्पोडेन्टस के पक्ष मे कर विचारण न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है। वाद–पत्र में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में मूर्ति मंदिर को खातेदार के रूप में बताया गया है और काश्तकार के रूप में रेस्पोडेन्टस को कुछ गिरदावरियों में बताया गया है रेस्पोडेन्ट वादीगण के द्वारा वाद–पत्र में जो अनुतोष चाहा गया है वह 50 साल से अधिक कब्जा होने तथा धारा 19 आर.टी.एक्ट के तहत नामांतकरण होने के आधार पर चाहा गया है जो देरीना कब्जा वादीगण रेस्पोडेन्टस अपने वाद–पत्र में लेकर आये है कानूनन शाश्वत नाबालिग के विरूद्ध देरीना कब्जा कोई महत्व नहीं रखता अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या रेस्पोडेन्टस वादीगण को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है इसका विस्तृत विवेचन विधि अनुसार निम्न प्रकार है:–

1. विवादित आराजियात अपीलान्ट मूर्ति मंदिर की खातेदारी की मानते हुये नामांतकरण को निरस्त करने हेतु तहसीलदार के द्वारा धारा 232 के तहत कलक्टर जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 08.06.1981 के द्वारा राजस्व मण्डल को रेफर किया गया।
2. राजस्व मण्डल के द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में कमी मानते हुए अपने आदेश दिनांक 24.05.1986 के द्वारा रेफरेन्स ए.डी.एम को पुनः जांच के लिये भेज दिया।
3. ए.डी.एम. ने अपने आदेश दिनांक 07.11.1986 के द्वारा रेफरेन्स की जांच करते हुए पुनः राजस्व मण्डल को प्रति प्रेषित किया जिसकी रेफरेन्स संख्या 43/87 थी।
4. राजस्व मण्डल के द्वारा रेफरेन्स संख्या 43/87 को अपने आदेश दिनांक 01.03.1989 के द्वारा राज्य सरकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5. राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 01.03.1989 के विरूद्ध अपीलान्ट मूर्ति मन्दिर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1260/90 प्रस्तुत की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की एकल पीठ के द्वारा रीट याचिका संख्या 1260/90 जो अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गयी थी उसको दिनांक 31.08.2001 को आदेश पारित कर खारिज कर दिया गया।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एकल पीठ के आदेश दिनांक 31.08.2001 के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा स्पेशल अपील संख्या 947/01 प्रस्तुत कर चुनौती दी गयी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की डबल बेन्च के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2008 के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करते हुए स्पेशल अपील अपीलान्ट की स्वीकार करते हुए विवादित आराजियात का अपीलान्ट को खातेदार घोषित करते हुए अपीलान्ट के नाम नामांतकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्ड पीठ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2008 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल अपील लीव(सिविल) सी.सी. ए. 2291/2009 प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया गया और रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस को यह लिबर्टी दी गयी कि अगर उसका कोई टाईटल बनता हो तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
8. जब माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित कर दिया और विवादित आराजियात का नामांतकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकार हो गया और राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट विवादित आराजियात का खातेदार हो गया तो उसके विरूद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेन्टस के द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील भी माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा निरस्त कर दी गयी इस तरह से खातेदारी अधिकारों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय को किसी प्रकार का विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

9. कानूनन भी जब एक बार मूर्ति मन्दिर का नाम किसी भी रूप में राजस्व रिकार्ड में आता है तो वह हटाया नहीं जा सकता और संवत 1998 से ही विवादित अराजियात का खातेदार अपीलान्ट मूर्ति मंदिर होने के बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध कर भारी भूल की है।
10. रेस्पोडेन्ट ने अपने अधिकार एडवर्स पजेशन के आधार पर क्लेम करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत काउंटर वाद को प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने का कथन किया है एक तरफ तो रेस्पोडेन्ट जागीर पुर्नगृहण अधिनियम के प्रावधानों का लाभ लेना चाहता है एवं धारा 19 आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों का लाभ लेना चाहता है तथा दूसरी तरफ एडवर्स पजेशन के आधार पर टाईटल प्राप्त करना चाहता है दोनों एक दूसरे के विपरित है कानूनन शाश्वत नाबालिग के विरूद्ध एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता।
11. विवाद्यक संख्या 3 बी विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अगर रेस्पोडेन्टस वादीगण का कोई स्वत्व है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है स्वत्व खातेदारी अधिकारों में समाहित नहीं है बल्कि स्वत्व तो टाईटल है और टाईटल व्यवहार न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है इसलिये इस विवाद्यक का निर्णय करने में विचारण न्यायालय ने तथ्य की भूल की है।

अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावें एवं वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन आरआरडी 1994 पेज 1, आरआरसी 1999पेज 21, आरआरडी 1995 पेज 418, आरआरटी 2018–19 सप्ली. पेज 484, आरआरटी 2019(2) पेज 1077, आरआरटी 2019(2) पेज 893, आरआरडी 1996 पेज 313, आरआरडी 1996 पेज 316, आरआरडी 1996 पेज 251, आरआरटी 2011(2) पेज 721, आरबीजे 1995(2) पेज 317, आरआरटी 2024(2) पेज 1015, डीएनजे रेव 2025(1) पेज 141 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद कथन जवाब दावे काउंटर क्लेम के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार करने एवं प्रतिवादी अपीलांट का प्रतिदावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नकल जमाबंदी संवत 1998 प्रदर्श–पी1 है, जिसमें कस्बा लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 966/1361 रकबा 18 बीघा 2 बिश्वा भूमि की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौ. सायी पुजारी मंदिर न्यामाजी वाके देह के नाम दर्ज है खसरा नम्बर 373 गेली रकबा 1 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 965 रकबा 2 बीघा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 966 रकबा 5 बीघा 12 बिश्वा की खातेदारी माफी मन्दिर श्री न्यामाजी वाके देह व अहतनामा पुजारी भगवानदास चेला हरिराम कौ. सायी सा.देह के नाम दर्ज है। खाना कैफियत में 'बरूये मिसल नम्बरी 719 मरजुबा 29.09.35 ब हुकम जनबा एस.ओ. साहब ता. 10.09.41 आराजी दर्ज खाता हाजा तादादी 20 बीघा खाम भोग मन्दिर बहाल रहा' अंकित है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 1999 में विवादित भूमि में 23 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वज बक्सू वल्द परमा खाती की काश्त दर्ज है, जो प्रदर्श–पी2 है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2024 में खसरा नम्बर 966 की भूमि पर माणक कौ. खाती की काश्त दर्ज है जो प्रदर्श–पी3 है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2005 में खसरा नम्बर

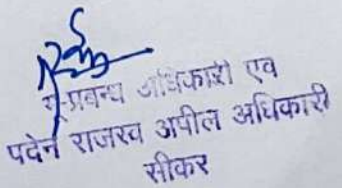

966 की खातेदारी मंदिर श्री न्यामा जी के नाम दर्ज है, माणक कौ. खाती की काश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौ. स्वामी के नाम दर्ज है, माणक खाती की काश्त दर्ज है, जो वादीगण के पूर्वज है। यह प्रदर्श–पी.4 है। नकल जमाबंदी संवत 212 प्रदर्श–पी5 है, जिसमें खसरा नम्बर 373, 965, 966 की खातेदारी माफी मंदिर न्यामाजी वाके देह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 373 खुदकाश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 965, 966 में माणक पुत्र बक्सू कृषक के रूप में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श–पी6 है, जिसमें खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदासा चेला हरिदास जाति सायी सा.देह पुजारी मंदिर न्यामा एवं माणकचन्द पुत्र बक्सू खाती सा.देह दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श–पी7 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की खातेदारी महावीर मुखाराम मुरली पि. माणकचन्द जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2039 से 2042 प्रदर्श–पी8 है, संवत 2039 से 2042 प्रदर्श–पी9 है, संवत 2048–2051 प्रदर्श–पी10 है, संवत 2052–2055 प्रदर्श–पी11 है, जिनमें महावीर आदि के नाम उपरोक्तानुसार ही खातेदारी दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014, 2016 से 2019 प्रदर्श–पी12 है, जिसमें खसरा नम्बर 966 की खातेदारी माफी मंदिर न्यामाजी के नाम व माणक पुत्र बक्सू खाती सा.देह की काश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौम स्वामी सा.देह पुजारी न्यामाजी का मन्दिर व माणकचन्द वल्द बगशू खाती सा.देह कृषक के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2015 प्रदर्श–पी13 है, जिसमें विवादित भूमि में माणक पुत्र बगसू की काश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2027 प्रदर्श–पी14 है, जिसमें माणक वल्द बक्सू, कौम जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह कृषक के रूप में दर्ज है। विवादित भूमि में माणकचन्द खुदकाश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2035 प्रदर्श–पी15 है, जिसमें संवत 2028 से 2031 में माणकचन्द खुदकाश्त दर्ज है। विशेष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवरण में नलकूप निर्माण योजना में नलकूप बनाया है, नोट अंकित है। संवत 2032 से 2035 में विवादित भूमियों में मुखाराम महावीर मुरली पि. माणकचन्द कौ. जांगिड़ की खुदकाश्त दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 966, खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी माकणचन्द पुत्र बक्सू जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज है, जो प्रदर्श–पी16 है। नकल जमाबंदी संवत 2015 से 2018 खसरा नम्बर 966 प्रदर्श–पी17 है, जिसमें माणक पुत्र बगसू खुदकाश्त दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2015 से 2018 प्रदर्श–पी18 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966/1361 में भगवानदास चेला हरिदास स्वामी सा.देह पुजारी मंदिर न्यामाजी व कृषक के रूप में व माणक पुत्र बक्सू उपकृषक के रूप में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 966 में भूमि अधिकारी के कॉलम में माफी मंदिर श्री न्यामाजी व कृषक के कॉलम में माणका पुत्र बक्सू जांगिड़ ब्राह्मण खुद माणका दर्ज है। विशेष विवरण में जरिये नामान्तकरण नम्बर 203/7–5–60 को 'आर.टी.ए. की दफा 19 के तहत खाता माणकचन्द पुत्र बक्सू जांगिड़ ब्राह्मण के नाम खातेदारी 18 बीघा 2 बिश्वा की स्वीकार हुई' नोट अंकित है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–पी19 है, जिसमें माणकचन्द कृषक के रूप में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–पी20 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी माणकचन्द पुत्र बक्सू के नाज दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 भूमि खसरा नम्बर 966/1361 व 966 में माणकचन्द पुत्र बक्सू कृषक के रूप में दर्ज है, जो प्रदर्श–पी21 है। नकल जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की खातेदारी महावीर मुरली आदि वादीगण के नाम दर्ज है जो प्रदर्श–पी22 है। नकल जमाबंदी 2060–2063 भूमि खसरा नम्बर 966/1361 व 966 प्रदर्श–23 है, जो वादीगण के नाम दर्ज है। नकल पासबुक भूमि व लगान प्रदर्श–पी24 है, जो भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की वादीगण के नाम की है। बिजली बिल माह अक्टूबर, 2008 मुखराम पुत्र माणकचन्द के नाम का कृषि कार्य का है, जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श–पी25 है। नकल आदेशिका मुकदमा नम्बर 27/57 प्रदर्श–पी26, नकल दावा प्रदर्श–पी27, नकल जवाबदावा प्रदर्श–पी28 व नकल तनकीयात प्रदर्श–पी29 है। नकल पर्चा चकबंदी ठिकाना सीकर प्रदर्श–पी30 है, जिसमें भगवानदास चेला हरिदास दर्ज है जो भूमि खसरा नम्बर 966/1361 बाबत है। प्रमाणित प्रलिलिपि निर्णय दिनांक 02.04.2009 माननीय उच्चतम न्यायालय प्रदर्श–पी.31 है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को सक्षम न्यायालय में दावा किये जाने बाबत आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वाद कथन जवाब दावे काउंटर क्लेम के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार करने एवं प्रतिवादी अपीलांट का प्रतिदावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नकल जमाबंदी संवत 1998 प्रदर्श–पी1 है, जिसमें कस्बा लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 966/1361 रकबा 18 बीघा 2 बिश्वा भूमि की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौ. सायी पुजारी मंदिर न्यामाजी वाके देह के नाम दर्ज है खसरा नम्बर 373 गेली रकबा 1 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 965 रकबा 2 बीघा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 966 रकबा 5 बीघा 12 बिश्वा की खातेदारी माफी मन्दिर श्री न्यामाजी वाके देह व अहतनामा पुजारी भगवानदास चेला हरिराम कौ. सायी सा.देह के नाम दर्ज है। खाना कैफियत में 'बरूये मिसल नम्बरी 719 मरजुबा 29.09.35 ब हुकम जनबा एस.ओ. साहब ता. 10.09.41 आराजी दर्ज खाता हाजा तादादी 20 बीघा खाम भोग मन्दिर बहाल रहा' अंकित है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 1999 में विवादित भूमि में 23 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वज बक्सू वल्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

परमा खाती की काश्त दर्ज है, जो प्रदर्श–पी2 है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2024 में खसरा नम्बर 966 की भूमि पर माणक कौ. खाती की काश्त दर्ज है जो प्रदर्श–पी3 है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2005 में खसरा नम्बर 966 की खातेदारी मंदिर श्री न्यामा जी के नाम दर्ज है, माणक कौ. खाती की काश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौ. स्वामी के नाम दर्ज है, माणक खाती की काश्त दर्ज है, जो वादीगण के पूर्वज है। यह प्रदर्श–पी.4 है। नकल जमाबंदी संवत 212 प्रदर्श–पी5 है, जिसमें खसरा नम्बर 373, 965, 966 की खातेदारी माफी मंदिर न्यामाजी वाके देह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 373 खुदकाश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 965, 966 में माणक पुत्र बक्सू कृषक के रूप में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श–पी6 है, जिसमें खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदासा चेला हरिदास जाति सायी सा.देह पुजारी मंदिर न्यामा एवं माणकचन्द पुत्र बक्सू खाती सा.देह दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श–पी7 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की खातेदारी महावीर मुखाराम मुरली पि. माणकचन्द जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2039 से 2042 प्रदर्श–पी8 है, संवत 2039 से 2042 प्रदर्श–पी9 है, संवत 2048–2051 प्रदर्श–पी10 है, संवत 2052–2055 प्रदर्श–पी11 है, जिनमें महावीर आदि के नाम उपरोक्तानुसार ही खातेदारी दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014, 2016 से 2019 प्रदर्श–पी12 है, जिसमें खसरा नम्बर 966 की खातेदारी माफी मंदिर न्यामाजी के नाम व माणक पुत्र बक्सू खाती सा.देह की काश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी भगवानदास चेला हरिदास कौम स्वामी सा.देह पुजारी न्यामाजी का मन्दिर व माणकचन्द वल्द बगशू खाती सा.देह कृषक के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2015 प्रदर्श–पी13 है, जिसमें विवादित भूमि में माणक पुत्र बगसू की काश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2027 प्रदर्श–पी14 है, जिसमें माणक वल्द बक्सू, कौम जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह कृषक के रूप में दर्ज है। विवादित भूमि में माणकचन्द खुदकाश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2035 प्रदर्श–पी15 है, जिसमें संवत 2028 से 2031 में माणकचन्द खुदकाश्त दर्ज है। विशेष विवरण में नलकूप निर्माण योजना में नलकूप बनाया है, नोट अंकित है। संवत 2032 से 2035 में विवादित भूमियों में मुखाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

महावीर मुरली पि. माणकचन्द कौ. जांगिड़ की खुदकाश्त दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 966, खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी माकणचन्द पुत्र बक्सू जाति जांगिड़ ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज है, जो प्रदर्श–पी16 है। नकल जमाबंदी संवत 2015 से 2018 खसरा नम्बर 966 प्रदर्श–पी17 है, जिसमें माणक पुत्र बगसू खुदकाश्त दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2015 से 2018 प्रदर्श–पी18 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966/1361 में भगवानदास चेला हरिदास स्वामी सा.देह पुजारी मंदिर न्यामाजी व कृषक के रूप में व माणक पुत्र बक्सू उपकृषक के रूप में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 966 में भूमि अधिकारी के कॉलम में माफी मंदिर श्री न्यामाजी व कृषक के कॉलम में माणका पुत्र बक्सू जांगिड़ ब्राह्मण खुद माणका दर्ज है। विशेष विवरण में जरिये नामान्तकरण नम्बर 203/7–5–60 को 'आर.टी.ए. की दफा 19 के तहत खाता माणकचन्द पुत्र बक्सू जांगिड़ ब्राह्मण के नाम खातेदारी 18 बीघा 2 बिश्वा की स्वीकार हुई' नोट अंकित है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–पी19 है, जिसमें माणकचन्द कृषक के रूप में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–पी20 है, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 966/1361 की खातेदारी माणकचन्द पुत्र बक्सू के नाज दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 भूमि खसरा नम्बर 966/1361 व 966 में माणकचन्द पुत्र बक्सू कृषक के रूप में दर्ज है, जो प्रदर्श–पी21 है। नकल जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की खातेदारी महावीर मुरली आदि वादीगण के नाम दर्ज है जो प्रदर्श–पी22 है। नकल जमाबंदी 2060–2063 भूमि खसरा नम्बर 966/1361 व 966 प्रदर्श–23 है, जो वादीगण के नाम दर्ज है। नकल पासबुक भूमि व लगान प्रदर्श–पी24 है, जो भूमि खसरा नम्बर 966 व 966/1361 की वादीगण के नाम की है। बिजली बिल माह अक्टूबर, 2008 मुखराम पुत्र माणकचन्द के नाम का कृषि कार्य का है, जो प्रदर्श–पी25 है। नकल आदेशिका मुकदमा नम्बर 27/57 प्रदर्श–पी26, नकल दावा प्रदर्श–पी27, नकल जवाबदावा प्रदर्श–पी28 व नकल तनकीयात प्रदर्श–पी29 है। नकल पर्चा चकबंदी ठिकाना सीकर प्रदर्श–पी30 है, जिसमें भगवानदास चेला हरिदास दर्ज है जो भूमि खसरा नम्बर 966/1361 बाबत है। प्रमाणित प्रलिलिपि निर्णय दिनांक 02.04.2009 माननीय उच्चतम न्यायालय प्रदर्श–पी.31 है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को सक्षम न्यायालय में दावा किये जाने बाबत आदेशित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। मूर्ति मंदिर की भूमियों के संदर्भ में राज्य सरकार ने समय समय पर परिपत्र जारी कर आदेशित किया है कि जो भूमि मूर्ति मंदिर की हो और जागीर पुर्नग्रहण के समय मंदिर द्वारा खुद काश्त नहीं करवाई गई हो, वहां पर उन काश्तकारों को अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जायेगी और ऐसे खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित नहीं किये जायेंगे। विचारण न्यायालय ने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

विवादग्रस्त आराजी को लेकर एक दावा धारा 183 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर के न्यायालय में दावा संख्या 27/57 पेश किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी के नोटिस जारी किये जिस पर वादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04. 1958 को वादी व उसके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया जिसके खिलाफ मौजूदा विपक्षी ने कोई कार्यवाही या अपील नहीं की। लेकिन वर्तमान में वादी के दावे में उसी अनुतोष के साथ में काउंटर क्लेम पेश किया है जो कि किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त काउंटर क्लेम पेश करने का कोई वाद कारण प्रतिवादी को नहीं हुआ क्योंकि बेदखली का दावा जो 1957 में पेश किया गया था उसके बाद विचारण न्यायालय के वादी वर्तमान में भी विवादग्रस्त आराजी पर कब्जे में है। वादीगण के द्वारा कब्जा काश्त राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय भी उपकृषक के रूप में था, उस समय विवादित आराजी मंदिर की खुदकाश्त नहीं थी। जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय ने वादी व वर्तमान रेस्पोडेन्ट खातेदार की हैसियत अर्जित कर चुका था। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19(1) के तहत वादी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कानूनन उत्पन्न हुई है। अतः वादीगण काबिज खातेदार है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में क्षेत्राधिकार के संदर्भ में अपीलांट ने आपत्ति की है। इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 260 में स्पष्ट प्रावधान है कि तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेंगा। राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्रार्थना पत्र की अथवा वाद के किसी उक्त कारण जिसके संबंध मे उक्त किसी वाद तथा प्रार्थना पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आधारित किसी वाद या प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं करेगा। उक्त वाद इस धारा की तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत आता है जिसमें धारा 8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश कर सकता है और इसमें सिविल कोर्ट को खातेदारी अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरक्त विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ने इसी दावे में वादोत्तर के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया है जिससे यह स्वीकार्य स्थिति बनती है कि इसी न्यायालय को इस दावे की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा जो दावा 1957 में प्रतिवादी द्वारा बेदखली का केस किया गया था वह भी इसी न्यायालय में पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर 2 मूर्ति मंदिर न्यामा जी के द्वारा एक रिट याचिका संख्या 12258/2017 माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें प्रतिवादी के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित करें कि वह उक्त दावे की सुनवाई शीघ्रता से करें। जिससे भी यह स्वीकृत स्थिति बनती है कि प्रतिवादी स्वयं मानते है कि उक्त दावे का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर